

सामग्री अभिलेखागार नीति

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा वेबसाइट की सामग्री को निरंतर और वैधता अवधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक निश्चित तिथि के बाद समाप्त होने वाली समय-संवेदनशील सामग्री के लिए, सामग्री को भविष्य में संदर्भ के लिए संग्रहीत किया जाता है या वेबसाइट से पूरी तरह से हटा दिया जाता है, जिस पर नीति संबंधित अनुभाग द्वारा उनकी सामग्री की प्रकृति पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद तय की जाती है उदाहरण के लिए ऐसे घटक जैसे प्रेस विज्ञप्ति, निविदाएं आदि केवल लाइव सामग्री हैं जिनकी वैधता तिथि, वर्तमान तिथि के बाद वेबसाइट पर दिखाई जाती है। जिस सामग्री की तिथि समाप्त हो गई है उसे पुनः प्राप्त करने के लिए, सामग्री को संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। वेबसाइट की सामग्री में अलग-अलग प्रवेश/निकास नीति और अभिलेखीय नीति है जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है (सूची नीति के अनुसार संलग्न की जाती है)

अभिलेखागार नीति प्रक्रिया

जब भी विभाग प्रमुख सी एंड आई विभाग के साथ डेटा/अधिसूचना/आरएफपी/निविदा साझा करते हैं, तो वे वेबसाइट पर सामग्री के लाइव होने की अंतिम तिथि का भी उल्लेख करते हैं।
अंतिम उल्लिखित तिथि पर सामग्री वेबसाइट के अभिलेखागार भाग में डाल दी जाती है।

* किसी भी भांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।